## न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
## सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
## प्रकरण संख्या 158 / 2024 (GCMS: 2024/235)

**सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

**<u>बनाम</u>**

1. **श्री सचिन** पुत्र श्री दुलीचंद जाति बिश्नोई आयु 22 वर्ष निवासी 4 – बीजीएम, जिला अनूपगढ़ मोबाईल नम्बर 88909–23025
2. **श्री प्रवीण यादव** पुत्र श्री जगदीश यादव निवासी 165 ऐ पालीवाला मोबाईल नम्बर 94135–43521

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**<u>20.01.2025</u>**

**पत्रावली पेश हुई।** अप्रार्थी विनोद के अधिवक्ता श्री रामगोपाल स्वामी ने एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। पत्रावली का अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रकरण में लिखित बहस पेश की हुई है एवं विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :**

**स्टेट की ओर से** सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 18.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ सूरतगढ़ बस स्टैण्ड पर पहुंचे। मौका पर बस स्टैण्ड, सूरतगढ़ की ओर आ रही सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 को रोका गया। उक्त वाहन की जांच की गई तो पाया कि **वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 के अन्दर लोहे का टैंक बना हुआ मिला जो कि** [illegible] **नोजल लगी हुई पायी गई।** मौके पर वाहन चालक [illegible] स्वयं का नाम सचिन पुत्र दुलीचंद बताया। वाहन च[illegible] का स्वामी श्री प्र[illegible]यादव पुत्र श्री जगदीश यादव बतया। मौके पर वाह[illegible] स्वामी श्री प्रवीण [illegible] उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर वाहन की जांच करने पर वाहन में बने लोहे के टैंक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चालक द्वारा 250 लीटर डीजल होना बताया गया। जिसका भौतिक सत्यापन करने पर 250 लीटर डीजल होना पाया गया। वाहन से एक हिसाब कॉपी मार्का My Perfect Kochi, Kerla Notebook तथा Cash Memo मार्का CN Royal पायी गई। जिसमें डीजल विक्रय संबंधी हिसाब लिखा होना पाया गया। पूछताछ में सचिन पुत्र दुलीचंद ने बतया कि उक्त वाहन आरजे 13 जीबी 5101 का उपयोग करके पंजाब के पेट्रोल पंपों से डीजल क्रय कर मांग के अनुसार बसों/ट्रकों एवं अन्य वाहनों को विक्रय किया जाना बताया है। सचिन पुत्र दुलीचंद द्वारा वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 मय वाहन के अन्दर लोहे के टैंक में लगभग 250 लीटर डीजल के खरीद संबंधी बिल/रसीद प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही मौके पर सचिन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण/परिवहन व बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मौके पर वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 मय 250 लीटर डीजल मय लोहे के टैंक व डिस्पेसिंग यूनिट/नोजल, दो हिसाब की कॉपियों को जरिये फर्द मौका मय जब्ती के जब्त किये गये। **अप्रार्थीगण** द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र अवैध पेट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04** का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार से जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 मय वाहन के अन्दर लोहे के टैंक में लगभग 250 लीटर डीजल राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested

**अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णलाल स्वामी ने अपनी लिखित बहस** कथन किया है कि प्रार्थी विष्णु पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 07, 83 एलएनपी, श्रीगंगानगर को बस का ड्राईवर है और उक्त जब्तशुदा वाहन पीकअप संख्या आरजे 13 जीबी 5101 का विष्णु पंजीकृत स्वामी

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

है। उक्त विष्णु के पास स्वयं के नाम से बसे है है जिनमें डीजल की आपूर्ति के लिए उक्त वाहन में डीजल भरकर ले जा रहा था।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** प्रार्थी से 250 लीटर की बरामदगी दिखाई गई है जबकि राज्य सरकार द्वारा भी 1000 लीटर डीजल तक की छूट प्रदान की गई है। प्रार्थी से जिला रसद अधिकारी द्वारा रंजिशवश 250 डीजल बरामद किया गया है जो कि गलत है।

**उनका ओ यह भी कथन है कि** जब्तशुदा 250 डीजल भी प्रार्थी का नही है। अप्रार्थी सचिन पुत्र श्री दुलीचन्द, जाति बिश्नोई 4 बीजएम, जिला अनूपगढ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 का नाम गलत रूप से लिया है। अप्रार्थी 2 को बिना वजह हस्तगासा में पक्षकार बनाया गया है जिसमें अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्रॉप किया जाकर, प्रकरण को निस्तारण करने की प्रार्थना की है।

**इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि** दिनांक 18.10.2024 को अवैध पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच करने जिला रसद अधिकारी मय स्टाफ सूरतगढ़ बस स्टैण्ड पहुचें तो वहां एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 को रोका गया। उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 की जांच करने पर उसके अन्दर लोहे का टैंक बना हुआ मिला जो कि एक डिस्पेसिंग मशीन/नोजल लगी हुई पायी गई, जो उक्त वाहन से डीजल बेचान करना साबित करती है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** मौके पर गाड़ी में उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सचिन पुत्र दुलीचन्द एवं वाहन स्वामी का नाम प्रवीण [illegible] यादव बताया। वाहन की जांच करने पर वाहन में बने लोहे के टैंक में चालक द्वारा 250 लीटर डीजल होना बताया गया, जिसका भौतिक सत्यापन करने पर 250 लीटर होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**उनका आगे यह भी कथन है कि** मौके पर वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 से हिसाब कॉपी एवं कैश मैमो पाया गया। पूछताछ में सचिन ने उक्त वाहन आरजे 13 जीबी 5101 का उपयोग करके पंजाब के पेट्रोल पम्पों से डीजल क्रय कर मांग के अनुसार बसो/ट्रकों एवं अन्य वाहनों को विक्रय किया जाना बताया है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** अप्रार्थीगण के अधिवक्ता विष्णु पुत्र श्री कृष्णलाल को वाहन का स्वामी होना बताया गया है जबकि प्रकरण में विष्णु अप्रार्थी के रूप में दर्ज नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सर्वप्रथम विष्णु पुत्र कृष्णलाल को प्रकरण में पक्षकार बनने की प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था, जो प्रकरण में पेश नहीं किया गया है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 के वाहन चालक द्वारा सचिन पुत्र दुलीचंद से गाड़ी के दस्तावेज तथा पेट्रोल डीजल भण्डारण व बेचना सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पूछताछ पर उनके द्वारा पेट्रोल/डीजल बेचान के लाईसेंस/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी सचिन पुत्र दुलीचंद द्वारा बिना अनुमति अनुज्ञापत्र के उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 द्वारा पंजाब से डीजल क्रय कर सूरतगढ में उपभोक्ताओं से राशि वसूल कर बेचना करना **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 की स्पष्ट उल्लंघना किये जाने के कारण, उससे** जब्तशुदा 250 लीटर डीजल मय लोहे के टैंक व डिसपेसिंग यूनिट/नोजल व वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested

**मैने, विभागीय प्रतिनिधि की बहस एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता** द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 18.10.2024 को सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय स्टाफ, सूरतगढ़ बस स्टैण्ड पहुंचे। जहां सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 को रोका गया। उक्त वाहन की जांच की गई तो पाया कि **वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 के अन्दर लोहे का टैंक बना हुआ मिला जो कि एक डिस्पेसिंग मशीन/नोजल लगी हुई पायी गई।** मौके पर वाहन चालक से पूछने पर चालक ने स्वयं का नाम सचिन पुत्र दुलीचंद बताया। वाहन चालक ने उक्त वाहन का स्वामी श्री प्रवीण यादव पुत्र श्री जगदीश यादव बतया। मौके पर वाहन स्वामी श्री प्रवीण यादव उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर वाहन की जांच करने पर वाहन में बने लोहे के टैंक के चालक द्वारा 250 लीटर डीजल होना बताया गया। जिसका भौतिक सत्यापन करने पर 250 लीटर डीजल होना पाया गया। वाहन से एक हिसाब कॉपी मार्का My Perfect Kochi, Kerla Notebook तथा Cash Memo मार्का CN Royal पायी गई। जिसमें डीजल विक्रय संबंधी हिसाब लिखा होना पाया गया। पूछताछ में सचिन पुत्र दुलीचंद ने बतया कि उक्त वाहन आरजे 13 जीबी 5101 का उपयोग करके पंजाब के पेट्रोल पंपों से डीजल क्रय कर मांग के अनुसार बसों/ट्रकों एवं अन्य वाहनों को विक्रय किया जाना बताया है। सचिन पुत्र दुलीचंद द्वारा वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 मय वाहन के अन्दर लोहे के टैंक में लगभग 250 लीटर डीजल के खरीद संबंधी बिल/रसीद प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही मौके पर सचिन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण/परिवहन व बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मौके पर वाहन संख्य आरजे 13 जीबी 5101 मय 250 लीटर डीजल मय लोहे के टैंक व डिस्पेसिंग यूनिट/नोजल, दो हिसाब की कॉपियों को जरिये फर्द मौका मय जब्ती के जब्त किये गये। **अप्रार्थीगण** द्वारा बिना अनुमति/ अनुज्ञापत्र अवैध पेट्रोल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04** का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार से जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 मय वाहन के अन्दर लोहे के टैंक में लगभग 250 लीटर डीजल राजसात करने की प्रार्थना की है।

**आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14** के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

**पत्रावली के अवलोकन से पाया कि** अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने लिखित बहस में कथन किया है कि जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 प्रार्थी विष्णु पुत्र श्री कृष्णलाल होना बताया है जबकि जब्ती के वक्त अप्रार्थी वे वाहन प्रवीण यादव पुत्र जगदीश यादव का होना बताया है। अधिवक्ता द्वारा स्वयं ने अपनी लिखित बहस में उक्त वाहन में 250 लीटर डीजल परिवहन करना स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested

**जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर** ने अप्रार्थी सचिन से वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 मय 250 लीटर डीजल जब्त किया गया है। अप्रार्थी सचिन द्वारा क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी सचिन द्वारा

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण के साथ डीजल के बेचान के हिसाब सम्बन्धी हस्तलिखित पर्चिया एवं दिनांक 15.07.2024 से 18.10.2024 तक प्रतिदिन डीजल बेचान का रजिस्टर प्रस्तुत किया है, हस्तलिखित पर्चियों पर अप्रार्थी सचिन ने स्वयं ने हस्ताक्षर भी मौजूद है, जो निम्न प्रकार से है, जिनकी मूल प्रति पत्रावली में उपलब्ध है :

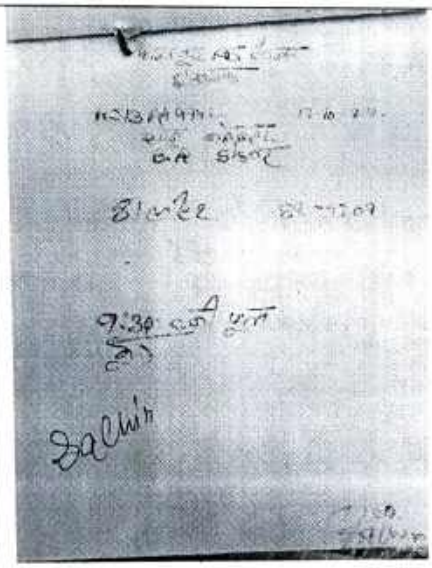

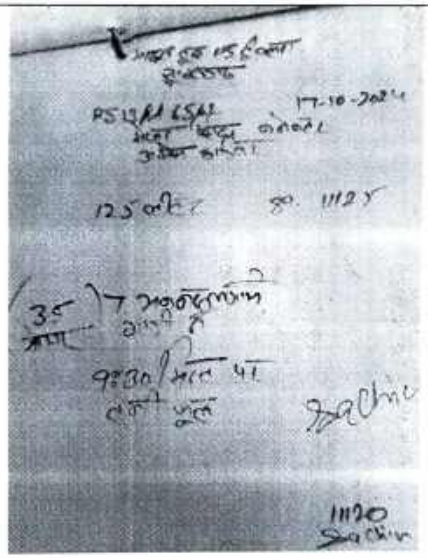

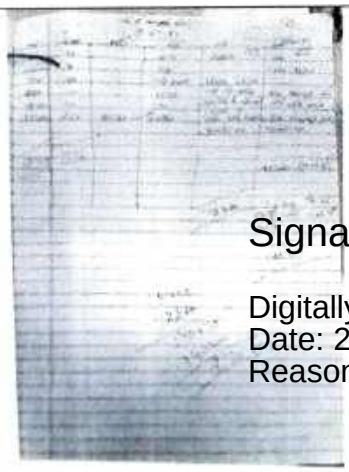

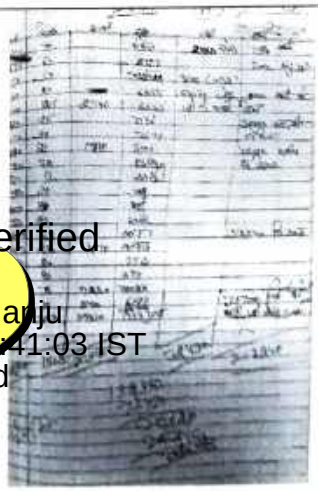

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त हस्तलिखित हिसाब की यह साबित करता है कि अप्रार्थी द्वारा लगातार डीजल बेचान सम्बन्धी कार्य किया जा रहा था।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(1) .....
>
> 12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति (License) का किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 250 लीटर डीजल का भंडारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी सुरक्षा पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब/बहस के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए अप्रार्थी से उक्त जब्तशुदा 250 लीटर डीजल को स्वयं की बसों में प्रयुक्त होना बताया जा रहा है, जो सही प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से उसके वाहन में 250 लीटर डीजल बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा अप्रार्थी सचिन के पास उक्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन/बेचान व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।

अप्रार्थी ने उक्त डीजल <u>क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी पेश नही</u> किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में — स्पष्टीकरण
>
> (12) पत्रांक : पी-3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर व [illegible] रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व [illegible] (प्रथम) खाद्य विभाग
>
> (1) पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण — पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग क** में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है।**

Class A : Hexane, NGL, Heptane
Class B : MTO,C-9,Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex
Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex

बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

**(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

..........................................

**इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति( License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति( License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति( License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति( License) की [illegible]ता है। जबकि अप्राार्थी द्वारा 250 लीटर डीजल "भण्डारण एवं बेचान" करते [illegible] किया गया हैं, जिसके सम्बन्ध में उसमें डिस्पेसिंग यू[illegible] [illegible] हुए पाये गये है। इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त पिकअप वाह[illegible] संख्या आरजे 13 जीबी 5101 मय डीजल के राजसात करने योग्य ठहरते है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) की अवेहलना के कारण जब्तशुदा डीजल एवं वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 भी राजसात किये जाते है।

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल व पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/अभियोजन/2024/2835 दिनांक 03.12.2024 के अनुसार जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 का अनुमानित बाजार भाव 4,40,000/– रूपये है। इसलिए वाहन पर 4.00/– लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 250 लीटर डीजल के अन्तरिम निलामी के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 250 लीटर डीजल की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो वह अलग से जारी रखे। अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर ही वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें।

चूंकि उक्त प्रकरण में 250 लीटर डीजल एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5101 राजसात करने के आदेश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार जब्त वाहन के बाज़ार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। उक्त जब्तशुदा पिकअप वाहन आरजे 13 जीबी 5101 का बाजार मूल्य 4,40,000/– लाख रूपये है। इसलिए उक्त पिकअप वाहन नम्बर आर जे 13 जीबी 5101 पर 4.00/– लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है और जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये जाते है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो उसे इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखा जावे। इस आदेश की प्रति अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर एवं उप खण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरमील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested